न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कनवास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास

मि0न0: 102 / 2015

परशुराम आत्मज धन्ना लाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास ।

– प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीएक्ट

वादी द्वारा एक वाद अ0धारा 88,89 आरटीएक्ट के अर्न्तगत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कनवास पटवार हल्का कनवास तहसील कनवास में ख.न. 1456 की 1.62 ,ख.न. 10457 की 1.29 है0 ख.न. 1969 की 0.04 है0 कुल किता 3 रकबा 2.95 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2069– 2072 संलग्न है। वादी नाम परशुराम है किन्तु राजस्व रेकार्ड में परसराम अंकित है जो गलत हैं । वादी का नाम राशनकार्ड,आधारकार्ड व शिक्षा संबधी प्रमाण पत्र,पेन कार्ड आद्वि में परशुराम अंकित हैं इस कारण राजस्व रेकार्ड में लिपिकिय त्रुटिवश परसराम अंकित होने के कारण वादी कृषि भूमि में लोन इत्याद्वि सुविधाओ से वंचित होना पड रहा हैं । अतः प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्त किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई । प्रतिवादी सरकार की से पैरोकार सरकार तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुऐ कथन किया कि वादी का नाम परसराम के स्थान पर परशुराम किये जाने में राजहित प्रभावित नही होता है। वाद न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कनवास में पेश हुई ।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वाद में प्रस्तुत रकार्ड का अवलोकन किया गया । नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 में मुकेश,सुरेश, पुत्र धन्नालाल हि0 1/2 परसराम पुत्र धन्ना हि.1/4 जाति कुमावत सा.देह रामकन्या बाई पत्नि रामेश्वर जाति गूर्जर सा.देह हि.1/4 दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् वोटर आई डी,आधारकार्ड, पेनकार्ड,राशनकार्ड सहकारी किसान कार्ड इत्याद्वि दस्तावेजात् की प्रतिया पेश की है जिसमें वादी का नाम परशुराम अंकित है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कनवास पटवार हल्का कनवास तहसील कनवास में ख.न. 1456 की 1.62 ,ख.न. 10457 की 1.29 है0 ख.न. 1969 की 0.04 है0 कुल किता 3 रकबा 2.95 है0 भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम परसराम के स्थान पर परशुराम दुरस्त किया जावे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

परशुराम पुत्र धन्ना जाति कुनावत निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत **अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट**

मुकदमा नं. 102/15 सन 2016 तारीख फैसला 11.05.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है **कि ग्राम कनवास पटवार हल्का कनवास तहसील कनवास में खसरा नंबर 1456 की 1.62 है0 खसरा नंबर 1457 की 1.29 है0 खसरा नंबर 1969 की 0.04 है0 कुल किता 03 रकबा 2.95 है0** भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम परसराम के स्थान पर परशुराम दुरूस्त किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

(श्री कैलाशचंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(श्री कैलाशचंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा